न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः 207/2025

एकलव्य पुत्र स्व. नवीन कुमार जाति जाट निवासी चक 6 एसएनएम श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रार्थी

बनाम

तारामणी पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी फतेहगढ मोड़ हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:अप्रार्थी

उपस्थितः-

1 श्री कैलाश धामू - अधिवक्ता प्रार्थी

2 श्री प्रद्यूमन परमार - अधिवक्ता अप्रार्थी

3 राजपैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक :- 21.07.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री कैलाश धामू अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 केएनजे के खाता सख्या 29/278 के पत्थर नंबर 112/271 (92) के किला नंबर 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल 0.506 हैक्टेयर व प्रार्थी की माता सरोज देवी के नाम चक 6 एसएनएम के खाता संख्या 125/118 के पत्थर नंबर 113/280 (44) के किला नंबर 11, 12, 19 से 24 व पत्थर नंबर 113/281 (56) के किला नंबर 1 से 4, 7 से 14 कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। इसके अलावा भी प्रार्थी के पास चक 6 एसएनएम में और कृषि भूमि है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि उक्त वर्णित समस्त भूमि की सार संभाल व काश्त व्यवस्था प्रार्थी ही संभालता है तथा उक्त वर्णित चक 6 एसएनएम का भूमिगत पानी लवणीय है इसलिए प्रार्थी की चक 2 केएनजे की उक्त वर्णित भूमि किला नंबर 25 जो घग्घर नदी की बहाव क्षेत्र में है तथा उसका भूमिगत जल मिठा होने से किला नंबर 25 में दो नलकूप स्थापित किए हुए है। चित्रप्रति विद्युत बिल उक्त दोनो नलकूप संलग्न वादपत्र है।

यह कि चक 6 एसएनएम की उक्त वर्णित भूमि में सिंचाई के साधन कम है तथा भू-जल खारा व लवणीय होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं है। चक 2 केएनजे की भूमि घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र के नजदीक है तथा इस चक की भूमि का भू-जल मीठा व सिंचाई योग्य होने से चक 6 एसएनएम की कृषि भूमि की बेहतर सिंचाई हेतु चक 2 केएनजे के पत्थर नंबर 112/272 के किला नंबर 25 में स्थापित नलकूप से पत्थर नंबर 113/272 के किला नंबर 1 से 5 के उत्तरी सिरा से होकर पत्थर नंबर 113/272 से पत्थर नंबर 113/275 तक प्रत्येक मुरब्बा के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी सिरा पर उत्तर से दक्षिण व पत्थर नंबर 114/276 से पत्थर नंबर 114/279 तक प्रत्येक मुरब्बा के किला नंबर 1, 10,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

11, 20, 21 में करीब 5 फीट गहराई में 10 ईंची व्यास की पीवीसी पाईप उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन 280 तक बिछाई हुई है। नजरी नक्शा संलग्न वादपत्र है।

यह कि अप्रार्थीया जो प्रार्थी की सगी भुआ है, के साथ प्रार्थी का अन्य सम्पति को लेकर विवाद चल रहा है। अप्रार्थीया की कृषि भूमि भी प्रार्थी की चक 2 केएनजे की भूमि के चिपते पत्थर नंबर 112/271 (92) के किला नंबर 17 व 24 है। इसके अलावा अप्रार्थीया की चक 20 एचएमएच के खाता संख्या 119/84 में 1.012 है0 व खाता संख्या 147/105 में 1.518 है0 व खाता सख्या 437/247 में 1.012 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी के साथ चल रहे उक्त विवाद के चलते अप्रार्थीया प्रार्थी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादिया ने कल दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थी की भूमि के दक्षिणी तरफ पत्थर नंबर 112/272 के किला नंबर 5 व पत्थर नंबर 113/272 के किला नंबर 1 से 4 में जेसीबी मशीन लगाकर खाई खोदनी शुरू कर दी। प्रार्थी ने जब जेसीबी चालक से उक्त खाई खोदने का कारण पूछा तो उसने प्रार्थी को बताया कि पत्थर नंबर 113/272 के किला नंबर 5 में चल रही प्रार्थी की पाईप लाईन में अप्रार्थीया की भूमि के किला नंबर 24 से पाईप लाईन लाकर जोड़नी है, प्रार्थी यह सुनकर अचम्भित रह गया तथा प्रार्थी ने उक्त जेसीबी चालक को ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर अप्रार्थीया मौका पर आ गई तथा उसने प्रार्थी को धमकी दी कि वह तो जबरदस्ती पाईप लाईन तोड़कर उसमें जोड़ लगायेगी तथा प्रार्थी की पाईप लाईन से ही चक 6 एसएनएम तक पानी ले जायेगी तथा चक 6 एसएनएम से आगे चक 20 एचएमएच तक इसी पाईप लाईन से पानी ले जायेगी। प्रार्थी ने जब ऐसा करने से अप्रार्थीया को रोका तथा उसे कहा कि प्रश्नगत नलकूप व पाईप लाईन मेरे स्वामित्व की है तथा उक्त पाईप लाईन जो 10 इंची है, जिससे प्रार्थी के दो नलकूप जुड़े हुये है, इससे अधिक पानी ले जाने की क्षमता इस पाईप लाईन की नहीं है व ना ही अप्रार्थीया को इस पाईप ,लाईन में जोड़कर लगाकर अपने नलकूप का पानी ले जाने का कोई हक व अधिकार हासिल है परंतु अप्रार्थीया बाजिद्द रही तथा उसने प्रार्थी को धमकी दी कि वह आज ही अतिशीघ्र उक्त पाईप लाईन का जोड़ मिलायेगी।

यह कि अप्रार्थीया को प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमिगत पाईप लाईन को तोड़कर उसमें अपनी पाईप लाईन जोड़ने का कोई हक व अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीया अपने इस अवैध व अनुचित मकसद में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी तथा प्रार्थी की उक्त पाईप लाईन कमजोर हो जायेगी, जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की उक्त वर्णित भूमि की सिंचाई सुविधा ही ठप परिस्थितियों में प्रार्थी अप्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीया वादपत्र की चरण सख्या 4 में वर्णित पाईप लाईन को नष्ट करने व इस पाईप लाईन में किसी प्रकार का जोड़ लगाने व इस पाईप लाईन को किसी तरीका से क्षतिग्रस्त करने से प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो 1/- रुपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह ताफैसला मूल वादपत्र, प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में वर्णित पाईप लाईन को नष्ट करने व इस पाईप लाईन में किसी प्रकार का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

जोड लगाने व इस पाईप लाईन को किसी तरीका से क्षतिग्रस्त करने से प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी श्री प्रद्यूमन सिंह परमार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि दफा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अनवान का वाद-पत्र प्रस्तुत करने का कथन मात्र स्वीकार है, लेकिन ऐसे वाद-पत्र में प्रार्थी के कामयाब होने की कोई गुंजाईश नहीं है।

यह कि दफा 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड के अंकन के अनुसार स्वीकार है। यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कि चक 2 केएनजे की उक्त वर्णित किला नम्बर 25 जो घग्घर नदी की बहाव क्षेत्र में है तथा उसका भूमिगत जल मीठा होने से किला नम्बर 25 में दो नलकूप स्थापित किये हुये है, स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है, कि उक्त नलकूप मिन अप्रार्थीया के पिता स्व. लालचंद ने लगवाया था, जिसका बिजली कनैक्शन भी मिन अप्रार्थी के पिता के नाम से लिया हुआ है। उक्त व्युबैल मिन अप्रार्थी की माता व पिता के समय से थे, जिनका उपयोग व उपभोग मिन अप्रार्थीया के पिता के मृत्यु के पश्चात से संयुक्त किया जा रहा है। लेकिन प्रार्थी ने अपने निजी स्वार्थो के वशीभूत होकर विद्युत सम्बंध अपने नाम करवा लिये है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है, कि उक्त चक 2 केएनजे के खाता संख्या 29/278 के पत्थर नम्बर 112/271 (92) के किला नम्बर 16 व 25 मिन अप्रार्थीया की माता द्वारा जरिये दान पत्र प्रार्थी ने अपने नाम करवाया है, जो किसी भी प्रकार से विधी सम्मत नहीं है। उक्त पाईप लाईन व विद्युत कनैक्शन मय व्यूबैल को उपयोग व उपभोग करने का मिन अप्रार्थीया व अन्य को पूर्ण अधिकार है, लेकिन प्रार्थी अपने निजी स्वार्थो के वशीभूत होकर बिना किसी अधिकारिता के मिन अप्रार्थीया को व्यूबैल का उपयोग व उपभोग करने व पाईप लाईन का उपयोग व उपभोग करने व पाईपलाईन में मिन अप्रार्थीया की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतू अन्य पाईप लाईन जोडने से रोक रहा है जो किसी भी प्रकार से विधी सम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी अधिकारिता व दस्तावेज में बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारीयों से मिली भगत कर अपने नाम करवाये है जिनके लिए मिन अप्रार्थीया की माता दान पत्र व उक्त कार्यवाही के सम्बंध में पृथक से कार्यवाही कर रही है।

यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। वादी के वाद मे वर्णित कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में स्थापित अन्य काश्तकारों के सहमति से मिन अप्रार्थीया अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने हेतू पानी लाईन बिछा रही थी, ताकि मिन अप्रार्थीया अपनी कृषि भूमि को सिंचित कर सके और पाईन लाईन बिछाने के बाद जोड़ने का कार्य ही बाकी रह गया है। मिन अप्रार्थीया की माता सुमित्रा देवी ने तहसीलदार राजस्व से अपनी कृषि भूमि में पानी की पाईप लाईन से कृषि भूमि काश्त करने व निरन्तर उपयोग व उपभोग करने के लिए अनुमति प्राप्त की हुई है व मिन अप्रार्थीया की माता ने उक्त पाईप लाईन के सम्बंध में अनुमति मिन अप्रार्थीया व मिन अप्रार्थीया के बहिन जया गोदारा को दी हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से मिन अप्रार्थीया के हक प्रभावित है व वह अपने कृषि भूमि को सिंचित करने हेतू पाईप लाईन जोडने से प्रार्थी द्वारा रोके जाने पर मिन अप्रार्थीया के हक प्रभावित हो रहे है।

यह कि दफा 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कि मिन अप्रार्थीया प्रार्थी की सगी बुआ है, यह कथन भी स्वीकार है कि मिन अप्रार्थीया की की कृषि भूमि भी प्रार्थी की चक 2 केएनजे के चिपते पत्थर नम्बर होना स्वीकार है। प्रार्थी व मिन अप्रार्थीया का सम्पत्ति को लेकर कोई

विवाद नहीं है, बल्कि प्रार्थी द्वारा ही मिन अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने की गर्ज से कार्यवाही की हुई है। मिन अप्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए अन्य काश्तकारों से सहमति लेकर उनकी कृषि भूमि में पाईप लाईन बिछाई है और 'बह मिन अप्रार्थीया के माता द्वारा ली गई पाईप की सहमति के आधार पर बिछाई गई पाईप लाईन से जोड कर अपनी कृषि भूमि सिंचित करना चाहती है। प्रार्थी द्वारा अंकित यह कथन कि पानी की प्रकृति भिन्न भिन्न है स्वीकार नहीं है। यह कथन अस्वीकार है कि नलकूप व पाईप लाईन प्रार्थी के स्वामित्व की हो और प्रार्थी मिन अप्रार्थीया को पाईप लाईन में जोड कर नलकूप का पानी ले जाने ले रोकने का कोई विधिक अधिकार हासिल हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण काबिल निरस्ती है।

यह कि दफा 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि दफा 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन अविधिक होने से अस्वीकार है। यह कि दफा 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन अविधिक होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पर एतराज व्यक्त करते हुये जवाबुल जवाब पेश किया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।
हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 2 केएनजे प.न. 112/271 मु.न. 92 का कि.न. 25/1/.228, 25/2/.025 प्रार्थी एकलव्य के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह निर्विवाद तथ्य है कि किला नं. 25 में दो नलकूंप लगे है जिनका पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है। अप्रार्थीया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रश्नगत नलकूंप अप्रार्थीया के पिता स्व. लालचंद द्वारा लगवाया गया था तथा बिजली का कनैक्शन भी उन्ही के नाम था। यह भी अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत किला नं. 25 अप्रार्थीया की माता द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दानपत्र से अंतरित किया गया है जिसकी कार्यवाही पृथक से चल रही है, हालांकि ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य अप्रार्थीया द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया है। यहां यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कि.न. 25 का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है तथा इसी किला में नलकूंप स्थापित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिजली बिल जो प्रार्थी के नाम से है। अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विद्युत बिल, बिजली कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थी ने अपने नाम करवा लिया है, जो तथ्यहीन कथन है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जिससे न्यायालय सहमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निशेधाज्ञा निरस्त की जाती है तो वाद-बाहुलता बढने की संभावना है। दुसरे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिजली कनैक्शन प्रार्थी के नाम से है तथा प्रश्नगत किला के भी प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रुप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश दिनांक 20.06.2025 बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि वे विवादाग्रस्त कृषि भूमि में वर्णित पाईपलाइन को नष्ट करने व इस पाईपलाईन में किसी प्रकार का जोड़ लगाने व इस पाईपलाईन को क्षतिग्रस्त करने से निषिद्ध (Prohibited) रहे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ